भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4640
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

पैनल के अधिवक्ताओं को वादों के आवंटन में पारदर्शिता

4640. श्री राव राजेन्द्र सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ताओं के पैनल को वादों के आवंटन हेतु नये दिशानिर्देशों को विभिन्न मंत्रालयों में किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना है ;

(ख) सभी नामनिर्दिष्ट वाद प्रभारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) सरकार को मुकदमा प्रभारियों द्वारा वादों के आवंटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार करनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विधि कार्य विभाग द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. जे-16/20/2024-न्यायिक के माध्यम से मामलों के निष्पक्ष और पारदर्शी आबंटन के लिए जारी किए गए नए मार्गदर्शक सिद्धांत स्वयं-स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत हैं । तारीख 16.10.2024 के ओ.एम. के पैरा 3(i) से 3(v) में पैनल काउंसेल के बीच मामलों के आबंटन में नामनिर्दिष्ट मुकदमेबाजी प्रभारियों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले अनुदेश विशेष रुप से अंतर्विष्ट हैं । ये इस प्रकार हैं :

3(i) साधारण/नियमित प्रकृति के मामलों को पैनल काउंसेल (अपर एसजीआई/उप एसजीआई/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल के सिवाय) को बारी के आधार पर सौंपा जा सकेगा;

3(ii) यदि मंत्रालय/विभाग लिखित रूप में किसी विशेष पैनल काउंसेल के नाम की सिफारिश करता है, तो इसका उचित न्यायोचित्य होना चाहिए;

3(iii) महत्वपूर्ण, संवेदनशील और ऐसे मामले जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें चुनौती दिए जा रहे उपबंध की संवैधानिक वैधता शामिल हैं, को अपर एसजीआई/उप एसजीआई/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और/या संबंधित मंत्रालय/विभाग के लिखित में विनिर्दिष्ट अनुरोध पर सौंपा जा सकेगा;

3(iv) दो या दो से अधिक मामले जिनमें विधि या तथ्यों के सारत: तदरुप प्रश्न अंतर्वलित हैं और जहां मुख्य अंतर संबंधित पक्षकारों के नाम, पता, अंतर्वलित धन की रकम आदि में है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाती है या नहीं, एक ही पैनल के काउंसेल को सौंपा जा सकेगा और अलग-अलग नहीं;

3(v) अपर एसजीआई/उप एसजीआई/ज्येष्ठ पैनल काउंसेल के सिवाय पैनल काउंसेल के पास किसी दिए गए बिंदु पर संबंधित उच्च न्यायालय/अधिकरण/जिला और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केंद्रीय सरकार के मुकदमों की कुल लंबित संख्या में से 10% से अधिक मामले नहीं होने चाहिए;

विधि कार्य विभाग के तारीख 21.10.2019 के ओ.एम. सं. जे-12017/1/2019 न्यायिक द्वारा जारी और तारीख 13.09.2022 के ओ.एम.सं 12017/2019 द्वारा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में नामनिर्दिष्ट मुकदमेबाजी प्रभारियों द्वारा न्यायालयों/अधिकरण के पैनल काउंसेल के बीच भारत संघ से संबंधित मामलों के आबंटन के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन करता है।

उक्त ओ.एम. में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संबंध में, मामलों का आबंटन भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी और तत्पश्चात् भारत के विद्वान महा-सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जाएगा।

दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए, विधि कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात मुकदमेबाजी (उच्च न्यायालय/कैट), मुकदमेबाजी (निचली अदालत) अनुभाग के प्रभारी क्रमशः दिल्ली में उच्च न्यायालय, कैट (पीबी) और अन्य अधिकरणों जिला और अधीनस्थ न्यायालय के लिए विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेल की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होंगे । दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए, मामलों का आबंटन संबंधित भारत के अपर महा-सालिसिटर के परामर्श से किया जाना है।

मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरू स्थित विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए इन स्थानों पर विधि कार्य विभाग के प्रभारी शाखा सचिवालयों को उनकी अधिकारिता के भीतर संबंधित न्यायालय/अधिकरण के लिए पैनल काउंसेल की नियुक्ति का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तथापि, इन स्थानों पर उच्च न्यायालयों (पीबी) के समक्ष मामलों के लिए, विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेल को मामलों के आबंटन के लिए संबंधित भारत के अपर महा-सालिसिटर से परामर्श करना अपेक्षित होगा।

ऊपर उल्लिखित लोगों के सिवाय स्थानों में, पैनल काउंसेल की नियुक्ति निम्नानुसार की जाती है:

उच्च न्यायालयों के लिए- भारत के अपर महा-सॉलिसिटर (एएसजीआई) या भारत के उप महा-सॉलिसिटर (डीएसजीआई) द्वारा,

शेष कैट, एएफटी, एनजीटी नयायपीठों के लिए - संबंधित ज्येष्ठ केंद्रीय सरकार स्थायी काउंसेल द्वारा,

शेष जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए-संबंधित स्थायी सरकारी काउंसेल द्वारा।

(ख) और (ग) : विधि कार्य विभाग द्वारा तारीख 16.10.2024 के ओ.एम.के माध्यम से जारी किए गए नए मार्गदर्शक सिद्धांतों में नामनिर्दिष्ट मुकदमेबाजी प्रभारियों को ईमेल के माध्यम से विधि कार्य विभाग को नियमित आधार पर पैनल काउंसेल को मामलों के आबंटन की मासिक रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा होती है।

इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग ने फरवरी 2016 के मास में 'विधि सूचना प्रबंधन और संक्षिप्त विवरण प्रणाली (एलआईएमबीएस)' नामक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह वेब आधारित कंप्युटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग भारत संघ से जुड़े सभी न्यायालयी मामलों की मानीटरी के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस तक पहुंच आसान है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, इसके संगठनों, विधि अधिकारियों और सूचीबद्ध काउंसेल को 24X7 उपलब्ध है, जिससे वे भारत संघ के मामलों से संबंधित डाटा अपलोड कर सकते हैं।

तारीख 16.10.2024 के ओ.एम.द्वारा जारी किए गए उपरोक्त नए मार्गदर्शक सिद्धांत, पैनल काउंसेल पर अपनी एलआईएमबीएस आईडी सक्रिय करने और उनको सौंपे गए मामलों की स्थिति को

नियमित रूप से अद्यतन करने पर जोर देते हैं, जिनकी मानीटरी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा एलआईएमबीएस पोर्टल पर की जानी है।

****